

उत्तर प्रदेश शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7
संख्या-628/15-7-2024
लखनऊ: दिनांक 19 जून, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

दिल्ली पब्लिक स्कूल, गजरौला, अमरोहा को शासनादेश संख्या-1916/15-7-9(299)/2007, दिनांक 14.07.2009 के क्रम में सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक, द्वादश मण्डल, मुरादाबाद के पत्र संख्या-एन0ओ0सी0/2020-21, दिनांक 20.07.2020 द्वारा सी0बी0एस0ई0 से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रदान की गयी।

2- दिल्ली पब्लिक स्कूल, गजरौला, अमरोहा का नाम परिवर्तित कर ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल, गजरौला, अमरोहा किये जाने के संबंध में शिक्षा निदेशक (मा0), उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-सा0(1)शि0/एनओसी/429/2024-25, दिनांक 14.05.2024 द्वारा प्रस्ताव/संस्तुति प्राप्त हुई। उक्त प्रस्ताव/संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त "दिल्ली पब्लिक स्कूल, गजरौला, अमरोहा" का नाम परिवर्तित कर "ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल, गजरौला, अमरोहा" किये जाने हेतु अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि प्रकरण में कोई प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

3- तदनुसार पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-1916/15-7-9(299)/2007, दिनांक 14.07.2009 एवं सचिव (मण्डलीय समिति) एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक, द्वादश मण्डल, मुरादाबाद के पत्र संख्या-एन0ओ0सी0/2020-21, दिनांक 20.07.2020 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय, शेष शर्त/प्राविधान यथावत् रहेंगे।

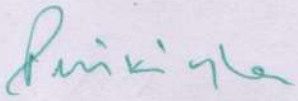
आलोक कुमार
विशेष सचिव।

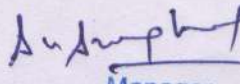
संख्या- 628 (1)/15-7-2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र, समुदाय केन्द्र-2, प्रीति विहार, नई दिल्ली।
2. शिक्षा निदेशक (मा0), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. मण्डलायुक्त, मुरादाबाद।
4. संयुक्त शिक्षा निदेशक, द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद।
6. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. डॉ0 राज कपूर, ट्रस्टी, किप्टान प्रागेसिव एजुकेशनल एण्ड हेल्थ केयर ट्रस्ट, मुरादाबाद/ प्रबन्धक, दिल्ली पब्लिक स्कूल, गजरौला, अमरोहा।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय कुमार)
उप सचिव।


Principal
Oxford International School
Gajraula (Amroha) 244235


Manager
Oxford International School
Gajraula (Amroha) 244235

श्रेष्ठक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
एवं सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति)
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र, प्रीत विहार,
नई दिल्ली।

पत्रांक: एन0ओ0सी0/

/2020-21

दिनांक: 20/07/2020

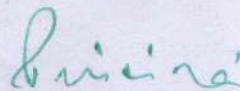
विषय: देहली पब्लिक स्कूल, गजरौला, अमरोहा को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

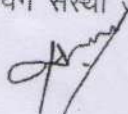
महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में सूचित है कि उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा (7) अनुभाग के शासनादेश संख्या: 1916/15-7-09-01(299)/2007 दिनांक 14.07.2009 के अनुपालन में आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 08.07.2020 में लिये गये निर्णय के अनुसार देहली पब्लिक स्कूल, गजरौला, अमरोहा विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- 1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 2- विद्यालय कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 3- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत 25 प्रतिशत निर्धन वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करना अनिवार्य होगा।
- 4- फीस उन्हीं मदों में चार्ज किये जायें जो राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य हो। फीस की दर इतनी होनी चाहिए जो सामान्यतः उस क्षेत्र में पूर्व में स्थित ऐसे अन्य विद्यालयों में चार्ज किया जा रहा है। काशनमनी/भवन शुल्क इत्यादि ऐसे मदों पर शुल्क न चार्ज किया जाये।
- 5- स्कूल सुरक्षा नीति, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 6- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- 7- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 8- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 9- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

Letters-2


Principal
Oxford International School
(Amroha) 244235


Manager
Oxford International School
Gajraula (Amroha) 244235

- 10- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 11- राज्य सरकार एवं सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता समबद्धता से पूर्व संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- 12- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

विद्यालय द्वारा अग्निशमन प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त कराने के उपरान्त ही सम्बद्धता जारी की जाये।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

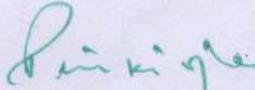
(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
एवं सदस्य सचिव
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।

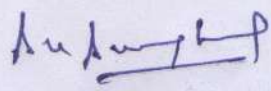
पृ0सं0: एन0ओ0सी0 / 11 30-34 / 2020-21 दिनांक: उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, अमरोहा।
- 4- प्रबन्धक, देहली पब्लिक स्कूल, गजरौला, अमरोहा।

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
एवं सदस्य सचिव
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।


Principal
Oxford International School
Gajraula (Amroha) 244235


Manager
Oxford International School
Gajraula (Amroha) 244235